चयन द्‌वारा भर्ती निम्नलिखित में से किसी एक पद्‌धति के माध्यम से की जाती हैः

(I) केवल साक्षात्कार द्‌वारा

(II) भर्ती परीक्षण (आर.टी.) के बाद साक्षात्कार द्‌वारा

भर्ती / शाखा द्‌वारा अधिकांश भर्ती केवल साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है। भर्ती परीक्षण सामान्यत: तभी आयोजित किया जाता है जब पदों की संख्या 15 या अधिक हो और उम्मीदवारों की संख्या भी अधिक हो या जब उम्मीदवारों की कौशल या दक्षता का भी मूल्यांकन किया जाना हो।

आयोग कार्यालय में संबंधित मंत्रालय/विभाग से रिक्तियों को भरने संबंधी अधियाचना प्राप्त होते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उम्मीदवारों के चयन में शामिल प्रमुख चरण निम्नानुसार है :-

क) किसी पद पर भर्ती के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग से अधियाचना की प्राप्ति, अधियाचना पर कार्रवाई करना, विज्ञापन तैयार करना और उसका प्रकाशन करना।

ख) उम्मीदवारों से ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त करना।

ग) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख तक उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करना।

घ) साक्षात्कार के लिए बुलाने हेतु उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना / लघुसूची तैयार करना।

ङ) साक्षात्कार

च) अनुशंसा

लघुसूची आयोग द्‌वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। प्रारंभिक चरण में उन सभी उम्मीदवारों, जो आयु, शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव (जहां अपेक्षित हो) के संबंध में न्यूनतम पात्रता रखते हैं,

की लघु सूची तैयार की जाती है। यदि यह संख्या काफी अधिक है और उन सबको साक्षात्कार के लिए बुलाना संभव नहीं है तो आयोग किसी अन्य समुचित लघुसूची मानदंड, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, के आधार पर एक अन्य लघु सूची तैयार करता है। यद्यपि यह मानदंड मामला दर मामला योग्यता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है, आयोग सामान्यत: संबंधित क्षेत्र में अधिक अनुभव रखने वाले या उच्च शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को, जैसा भी मामला हो, वरीयता देता है। उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का उद्देश्य साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उस समय पर उपलब्ध पदों की संख्या, अनिवार्य योग्याताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा अन्य निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को एक तर्कसंगत संख्या तक सीमित करना है। साक्षात्कार बोर्ड के समय को तर्कसंगत बनाने और साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को तर्कसंगत संख्या में सीमित रखने के लिए आयोग के अनुमोदन से मानकों का एक सेट अपनाया गया है जो नीचे दर्शाया गया है :-

एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 से 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 या इससे अधिक पदों के लिए	50 या अधिक उम्मीदवारों तक (पदों की संख्या से 5 गुना तक)

बड़ी संख्या में भर्ती के मामलों में जहां लिखित परीक्षण आयोजित किया जाता है, प्रत्येक पद के लिए लिखित परीक्षण के आधार पर अहर्ता प्राप्त 3 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यह अनुपात केवल एक सामान्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और आयोग द्वारा प्रत्येक मामले में योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र भेजा जाता है, जिसमें उनसे निर्धारित तारीख तथा समय पर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। एक बार साक्षात्कार के पूरा होने पर साक्षात्कार बोर्ड की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

आयोग द्वारा चयन को अनुमोदित किए जाने के बाद मंत्रालय/विभाग तथा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी जाती है। यह परिणाम रोजगार समाचार में भी प्रकाशित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर चयनित उम्मीदवारों के प्रतिस्थापन की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा पद के लिए उम्मीदवारों की आरक्षित सूची, जहां उपलब्ध हो, भी अनुरक्षित रखी जाती है।